

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 2451 /11-सी-FP/UP/Others/31275/2018, लखनऊ, दिनांक: जून 25, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषय:- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग सं०-62 पी०ए० के चैनैज 14.346 से 14.381 बॉयी पटरी पर ग्राम चरखौला, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं०-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/31275/2018)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1238/14-1, दिनांक 21.02.2019 (प्राप्त दिनांक-18.06.2019) एवं पत्रांक-1819/14-1 दिनांक 22.06.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- 1- प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल एवं बारचाट है संलग्न है, किन्तु Non Forest Area Cluculation नहीं किया गया है। अतः No Forest Area Cluculation कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड करें।
- 2- प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड नहीं है। अतः आनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड करें।
- 3- क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- 4- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित टोपोशीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है। अतः सत्यापित टोपोशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
- 5- प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- 6- प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- 7- भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- 8- भारत सरकार के पत्रांक-11-268/2014-एफ०सी०, दि० 11.07.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
- 9- वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड प्रमाण पत्र में पत्रांक व तिथि अंकित नहीं है। अतः एक समान प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
- 10- पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः बढ़ी हुई वैधता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
- 11- मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
- 12- गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
- 13- वन विभाग, उ०प्र० शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- 14- सी०डी० में प्रस्तावित स्थल की के०एम०एल० फाईल Geo Referenced Digital Map & Toposeet Upload नहीं है।
- 15- ऑनलाइन भाग-2 में के०एम०एल० फाईल 2 बार अपलोड की गयी है। अतः एक के०एम०एल० फाईल डिलीट करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियों तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियों इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

25/1

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-2451/11-सी-FP/UP/Others/31275/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत।

o/c

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।